न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी अनुराग भार्गव, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 68/2021 दायरा दिनांक : 21.06.2021

उनवान

पर्वत सिंह आत्मज दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्याम बाई पुत्री दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– लछमा बाई बेवा दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– अगाम बाई पुत्री दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– कला बाई पुत्री मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– झालावाड़ सहकारी कृषि विकास बैंक शाखा मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

अपील संख्या 69/2021 दायरा दिनांक : 21.06.2021

उनवान

पर्वत सिंह आत्मज दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्याम बाई पुत्री दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– लछमा बाई बेवा दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– अगाम बाई पुत्री दोला जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– कला बाई पुत्री मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– झालावाड़ सहकारी कृषि विकास बैंक शाखा मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री संजय पाटोदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.04.2022

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना कैटा प्रकरण संख्या – 70/दावा/2011 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.02.2016 एवं निर्णय दिनांक 11.05.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम रवास्या, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 56 की 12 किता की 39 बीघा 11 बिस्वा आराजी पक्षकारान के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादीगण श्यामाबाई पुत्री दौला, लछमाबाई बेवा दौला का 1/8 – 1/8 हिस्सा दर्ज है । उक्त आराजी शामलाती खाते में रहने से पक्षकारों के आराजी को काश्त करने तथा आराजी का विकास करने में लड़ाई–झगड़ा होता रहता है । अतः वादीगण के हिस्से की 1/8 – 1/8 भाग आराजी वादीगण के पृथक पृथक खाते दर्ज की जाकर कब्जा दिलाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, विधि एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह साबित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 विवाहिता है जो अपने ससुराल में ही निवास करती रही है उसने कभी भी उक्त आराजी में अपना हक व अधिकार नहीं जताया है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय तनकीयात भी कायम कर बिना साक्ष्य लिये तथा निर्णय तनकीवार भी पारित नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में तथा सुनवायी का अवसर दिये बिना प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उसमें कोई राजीनामा पेश किया और न ही सहमति ही पत्रावली में उपलब्ध है तथा उसके पश्चात उक्त पत्रावली लोक अदालत में रखवा कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि अधीनस्थ न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

ने अपीलांट की आपत्ति स्वयं ने वर्णित की है जबकि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निर्णय राजीनामे से ही किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.03.2021 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया व मुख्य रूप से जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अपीलांट को विभाजन पत्र पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया एवं तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बंटवारे का नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया एवं पत्रावली लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित किया गया । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 69/2021 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.02.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का का अवसर प्रदान कर, प्रकरण में तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.06.2022 को उपस्थित होवे ।

अपील संख्या 68/2021 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 11.05.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2016 अपास्त किया जाता है । चूंकि जब प्राथमिक डिक्री ही निरस्त कर दी गई है ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री प्रभावशून्य होने से अपील स्वीकार कर निरस्त की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा